**सोशल मीडिया सेल आजमगढ**

**पत्र सं.- 472/21** **दिनांक- 11 अक्टूबर 2021**

**प्रेस- विज्ञप्ति**

**थाना- जहानागंज**

**मोबाईल चोरी करने वाला गिरफ्तार, डेढ़ दर्जन चोरी की मोबाईल बरामद**

दिनांक 9.10.2021 को रामकिशुन राजभर पुत्र पतिराम राजभर ग्राम बजहा थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि मेरा मोबाईल किसी ने चोरी कर लिया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा मोबाईल चोरी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक जहानागंज को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में आज दिनांक 11.10.2021 को उ0नि0 राकेश यादव मय हमराह द्वारा मोबाईल चोरी मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जरिये मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त अंकुर राम पुत्र रामप्रसाद ग्राम भोजपुर अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को अभियुक्त के घर से समय करीब 8.15 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 14 अदद चोरी का मोबाइल बरामद किया गया जिसका विवरण निम्नवत है 1- मोबाइल लावा काला लाल रंग की कीपैड 2- वीवो गोल्डेन कलर स्क्रीन टच, 3-सैमसैग सफेद कीपैड, 4-सैमसैंग काली रंग की कीपैड, 5-KECHADDA K-28 कीपैड, 6- सैमसैग सफेद कीपैड़, 7-Itel लाल काली रेग कीपैड़, 8-नोकिया काली रंग कीपैड़, 9-Itel काली रंग कीपैड, 10-Intex काली रंग कीपैड, 11-सैमसैग सफेद तोता कलर कीपैड, 12-सैमसैग गोल्डेन कलर स्क्रीन टच, 13-वीवो गाजरी रंग स्क्रीन टच, 14-वीवो ब्लैक कलर कुल 14 अदद चोरी की मोबाईल बरामद किया गया बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411/413/414 भादवि की बढोत्तरी की गयी। अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ विवरणः**- अंकुर राम पुत्र रामप्रसाद ग्राम भोजपुर अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष बदरियाफ्त मुकदमा उपरोक्त के संबन्ध में पूछ-ताछ करने पर जुर्म इकबाल कर बता रहा है कि साहब ग्राम बजहा व विभिन्न गावो से मोबाइल चोरी किया था और सभी मोबाइलो को मै घर मे छिपा कर रखा था और बेचने हेतु ले जाने वाला था कि आप द्वारा मुझे पकड़ लिया गया जो मोबाइल चोरी किया था वह आप को दे दिया हूँ। साहब इस बार हमको माफ कर दिजिए भविष्य मे दुबारा गलती नही करुगा। इस तरह से अपना जुर्म इकबाल कर बयान अंकित कराया।

**पंजीकृत अभियोगः-**

1- मु0अ0स0 211/2021 धारा 379/411/413/414 भादवि

**गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1- अंकुर राम पुत्र रामप्रसाद ग्राम भोजपुर अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

**बरामदगी-**

**1-** 14 अदद चोरी की मोबाईल

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-**

1- उ0नि0 राकेश यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

2-हे0का0 अवधेश प्रसाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

3.का0 सागर सिंह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

4.का0 शुभम थाना जहानागंज जनपद आजमगढ